रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180] दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 4, 2011/कार्तिक 13, 1933 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 191
No. 180] DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 4, 2011/KARTIKA 13, 1933 [N.C.T.D. No. 191

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग
अधिसूचनाएं

दिल्ली, 4 नवम्बर, 2011

सं. फा. 7/1/99/रा./स्थ./स.र./पार्ट फाईल/1546.—सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं. 393 दिनांक 26-8-2011 के सन्दर्भ में श्री कृष्ण मोहन उप्पू, भा. प्रा. अधि. ने दिनांक 29-8-2011 को उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी, (वंसत विहार), जिला-दक्षिण पश्चिम का कार्यभार संभाल लिया है । अत :—

(1) **सं. 7/1/99/रा.स्थ./स.र.**—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम संख्या 17) की धारा 27 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में श्री कृष्ण मोहन उप्पू, भा. प्रा. अधि. को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं ।

(2) **सं. 7/1/99/रा.स्थ./स.र.**—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (1901 का अधिनियम संख्या 03) की धारा 223 के साथ पठित धारा 15 की उप-धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में श्री कृष्ण मोहन उप्पू, भा. प्रा. अधि. को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को जब तक वह राजस्व विभाग में उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं ।

(3) **सं. 7/1/99/रा.स्थ./स.र.**—दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 12) की धारा 76 के साथ पठित धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा श्री कृष्ण मोहन उप्पू, भा. प्रा. अधि. को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी तथा राजस्व सहायक के रूप में नियुक्त करते हैं तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत उस समय तक कलैक्टर की सभी शक्तियाँ जब तक वह राजस्व विभाग में उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं ।

(4) **सं. 7/1/99/रा.स्थ./स.र.**—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू उत्तरी भारत नहर तथा जल निकास अधिनियम, 1873 (1873 का अधिनियम संख्या 02) की धारा 3 के खंड 6 के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कलैक्टर की सभी शक्तियों तथा कार्यों को करने अथवा अधिरोपित करने के लिए श्री कृष्ण मोहन उप्पू, भा. प्रा. अधि. को उस समय तक कलैक्टर की शक्तियों को जब तक वह राजस्व विभाग में उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं ।

(5) सं. 7/1/99/रा.स्थ./स.र.—दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 के अधिनियम संख्या 8 की धारा 3 के खंड 19ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 परिशिष्ट में वर्णित राजस्व सहायक के कार्यों को निवर्हन करने के लिए श्री कृष्ण मोहन उप्पू, भा. प्रा. अधि. को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को जब तक वह राजस्व विभाग में उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं ।

(6) सं. 7/1/99/रा.स्थ./स.र.—पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी तथा विखंडन रोकथाम) अधिनियम, 1948 (1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम संख्या 50) की धारा 20 की उप-धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए श्री कृष्ण मोहन उप्पू, भा. प्रा. अधि. को उस समय तक बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के रूप में जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं ।

(7) सं. 7/1/99/रा.स्थ./स.र.—दिल्ली भूमि जोत (सीमाबंदी) अधिनियम, 1960 (1960 का अधिनियम संख्या 24) की धारा 2 के खंड ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अंतर्गत उस समस्त क्षेत्र के लिए जहां लागू होता हो के लिए सक्षम प्राधिकारी का कार्य करने के लिये श्री कृष्ण मोहन उप्पू, भा. प्रा. अधि. को जब तक वह राजस्व विभाग में उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्राधिकृत करते हैं ।

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 4th November, 2011

F. No. 7 (1)/99/Rev. Estt./SR./Part file./1546.—In pursuance of the Services Department's order No. 393 dated 26-8-2011, Shri Krishna Mohan Uppu, IAS has joined as Sub-Divisional Magistrate (Vasant Vihar), District South-West on 29-8-2011 (F/N), Now, therefore,—

(1) **No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR.**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 27 of the Punjab Revenue Act, 1887 (Punjab Act No. XVII of 1887) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby confers upon Shri Krishna Mohan Uppu, IAS the power of Assistant Collector, Ist Class under the said Act within the National Capital Territory of Delhi so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(2) **No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR.**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 15 read with 223 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (Act No. III of 1901) as extended to the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints Shri Krishna Mohan Uppu, IAS as Assistant Collector, Ist Grade under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, and confers upon him all the powers of Collector under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(3) **No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR .**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 7 read with 76 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby Shri Krishna Mohan Uppu, IAS as Assistant Collector, Ist Class and Revenue Assistant in the National Capital Territory of Delhi and confers upon him all the powers of Collector under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(4) **No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR .**—In exercise of the powers conferred by Section 4 read with Clause 6 of Section 3 of the Northern India Canal & Drainage Act, 1873 (Act No. 2 of 1873) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints Shri Krishna Mohan Uppu, IAS as Collector, to exercise or perform the duties conferred or imposed under the said Act within the National Capital

Territory of Delhi, so long as the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(5) **No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR.**—In exercise of the powers conferred by Clause 19-A of Section 3 of the Delhi Land Reforms Act, 1954 (Act No. 8 of 1954) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby empowers Shri Krishna Mohan Uppu, IAS as Assistant Collector, Ist Class to perform the function of Revenue Assistant described in the Schedule I as appointed to the said Act within the National Capital Territory of Delhi, so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(6) **No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR.**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 20 of East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation), Act, 1948 (Act No. 50 of 1948) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoints Shri Krishna Mohan Uppu, IAS as Settlement Officer (Consolidation) for National Capital Territory of Delhi, so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(7) **No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR.**—In exercise of the powers conferred by Clause (c) of the Section 2 of the Delhi Land Holding (Ceiling) Act, 1960 (F. No. 24 of 1960) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to authorize Shri Krishna Mohan Uppu, IAS, to perform the function of the Competent Authority under the said Act within the whole areas to which the provision of the said act are applicable so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

सं. फा. 7(1)/रा.स्था./स.र./सा.प्र./99/पार्ट फाईल/1547.—सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं. 404 दिनांक 5-9-2011 के सन्दर्भ में श्री एम. टी. कोम (दानिक्स) ने दिनांक 7-9-2011 को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (नई दिल्ली), जिला नई दिल्ली का कार्यभार सम्भाल लिया है । अत:—

1. दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री एम. टी. कोम. (दानिक्स) को जब तक वे राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अतिरिक्त कलैक्टर नियुक्त करते हैं तथा उसी अधिनियम की धारा 6 तथा 76 के अंतर्गत उन्हें जिलाधीश राजस्व की शक्तियां प्रदान करते हैं ।

2. दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 3 (6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री एम. टी. कोम (दानिक्स) को जब तक वे राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपायुक्त के कार्य पालन हेतु शक्तियां प्रदान करते हैं ।

3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यथा-विस्तारित पंजाब टेनेंसी अधिनियम, 1887 की धारा 105 (1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल श्री एम. टी. कोम (दानिक्स) को जब तक वे राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं ।

4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 27 (1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री एम. टी कोम (दानिक्स) को जब तक वे राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं ।

5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 14 (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री एम. टी. कोम (दानिक्स) को जब तक वे राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं ।

6. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी तथा विखण्डन रोकथाम) अधिनियम, 1948 की धारा 41 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री एम. टी कोम (दानिक्स) को जब तक वे राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित अधिनियम की धारा 21 (4) के

अंतर्गत बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) द्वारा धारा 21 (3) में पारित किए गए आदेशों के खिलाफ समस्त अपीलें सुनने के लिए अपीलेट अथोरिटी नियुक्त करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा उनके नाम पर,

कुलदीप सिंह गंगर, अति. सचिव

F. No. 7 (1)/Rev. Estt./S.R./GA/99/Pt.-file/1547.—In pursuance of Services Department's Order No. 404 dated 5-9-2011, Shri M.T. Kom, DANICS, has joined as Additional District Magistrate (New Delhi) on 7-9-2011. Now, therefore,—

(1) In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Delhi Land Revenue Act, 1954, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Shri M. T. Kom, DANICS as Additional Collector in the National Capital Territory of Delhi and delegates him the powers of Collector under Section 6 read with Section 76 of the said Act so long as he holds the post of ADM in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(2) In exercise of powers conferred by Section 3(6) of the Delhi Land Reforms Act, 1954, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to empower Shri M. T. Kom, DANICS, to discharge the functions of Deputy Commissioner under the said Act in the National Capital Territory of Delhi so long as he holds the post of ADM in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(3) In exercise of the powers conferred by Section 105(1)(a) of the Punjab Tenancy Act, 1887 as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Shri M. T. Kom, DANICS all the powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi so long as he holds the post of ADM in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(4) In exercise of the powers conferred by Section 27(1)(a) of the Punjab Land Revenue Act, 1887 as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Shri M. T. Kom, DANICS, the powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi, so long as he holds the post of ADM in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(5) In exercise of the powers conferred by Section 14(A) of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Shri M. T. Kom, DANICS all the powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi so long as he holds the post of ADM in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(6) In exercise of the powers conferred by Section 41(A) of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act 1948, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoint Shri M. T. Kom, DANICS as appellate authority and delegate him the powers of hearing appeals under Section 21(4) of the said Act against the order of Settlement Officer (Consolidation) passed under Section 21(3) of the said Act so long as he holds the post of ADM in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

KULDEEP SINGH GANGAR, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.